तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 89/2024**	म्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
22–7–2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 (रेंगाराम पुत्र समरथा जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, झाडोली, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही), प्रतिवादी संख्या 2 (पंकज कुमार रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स ओमकार एजेन्सी, इम्पिरियल बेकरी के सामने, गणपति मार्केट, सदर बाजार, सिरोही), प्रतिवादी संख्या 3 (आयुष रावल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स कन्हैया ट्रेडर्स, भैरु चोक, सुमेरपुर, जिला– पाली) व प्रतिवादी संख्या 4 (Manjur ahemad Gulam Husen, M/s Milkcute Dairy, 2/3/157/1/A Kugasiya vas,, Ta. Palanpur, Banaskantha-385520) के वकील उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20–9–2023 को मैसर्स महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, झाडोली, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी रेंगाराम पुत्र समरथा जी देवासी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2207, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2595/Act/2023/2887 दिनांक 07–11–2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चेतन रावल उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 11–7–2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होंनें बहस के दौरान जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त घी का नमूना लेने की कार्यवाही प्रतिवादी रेंगाराम के समक्ष व उपस्थिति में नही की गई है व न ही विधि अनुसार कार्यवाही सम्पादित की गई है। नमूनें को टेम्परविथ करके जांच हेतु भेजा गया है व घी के नमूने को उचित तापमान में स्टोर नही किया है। प्रतिवादीगण को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रेषित नही की है जिससे उक्त घी के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से पुनः जांच करने के अधिकार से प्रतिवादीगण वंचित रहे है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित कथनों को सक्षम साक्ष्य से साबित नही करवाया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,	

.......लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 89/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	सिरोही, दिनांक 20–9–2023 को समय 4–00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, झाडोली, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी रेंगाराम पुत्र समरथा जी देवासी उपस्थित मिले, जो मैसर्स महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, झाडोली में आमजन के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) आदि का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स महोदव किराणा स्टोर, रेबारी वास, झाडोली की दुकान के निरीक्षण के दौरान दुकान के अन्दर खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) के 10 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) रखे हुए पाये, जिनमें मिलावट का शक पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता रेंगाराम को गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने मैसर्स महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, झाडोली की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) के 10 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से घी (नमस्ते ब्राण्ड) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमत राशि रुपये 1200/– (अक्षरे रुपये एक हजार दो सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता रेंगाराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2207, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता रेंगाराम व गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) के चारों पैक्ड जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना जारों को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीव्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22–9–2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री सिद्धार्थ, कार्मिक, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 20–9–2023 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा मैसर्स महादेव किराणा स्टोर, रेबारी वास, झाडोली में प्रतिवादी विक्रेता रेंगाराम पुत्र समरथा जी देवासी से खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 ....लगातार	

सिरोही (राज०)

प्र.वि. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 89/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
	के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2207 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./2595/Act/2023/2887 दिनांक 07–11–2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2207, अमानक (sub-standard) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों का नमूना मूल कम्पनी पैक्ड अवस्था में प्रतिवादी रेंगाराम पुत्र समरथा जी देवासी, खाद्य कारोबारकर्ता व प्रोपराईटर, मैसर्स महोदव किराणा स्टोर, झाडोली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया था व प्रतिवादी रेंगाराम की फर्म मैसर्स महादेव किराणा स्टोर द्वारा उक्त घी (नमस्ते ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को प्रतिवादी संख्या 2 की प्रोपराईटरी फर्म ओमकार एजेन्सी से जरिये बिल खरीद किया था एवं प्रतिवादी संख्या 2 की प्रोपराईटरी फर्म ओमकार एजेन्सी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को प्रतिवादी संख्या 3 की फर्म कन्हैया ट्रेडर्स, भैरु चौक, सुमेरपुर से पैक्ड अवस्था में जरिये बिल क्रय किया था तथा प्रतिवादी संख्या 3 की फर्म कन्हैया ट्रेडर्स, सुमेरपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को पैक्ड अवस्था में जरिये बिल प्रतिवादी संख्या 4 की फर्म M/s Milkcute Dairy, 2/3/157/1/A Kugasiya vas,, Ta. Palanpur, Banaskantha-385520 से खरीद किया था, जो प्रतिवादी Manjur ahemad Gulam Husen की प्रोपराईटरी फर्म व उक्त खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) की निर्माता/पैकर फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य सामग्री के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म/पैकर ही उत्तरदायी है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी Manjur ahemad Gulam Husen, M/s Milkcute Dairy, 2/3/157/1/A Kugasiya vas,, Ta. Palanpur, Banaskantha-385520 द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो इस अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी (नमस्ते ब्राण्ड) (नमूना संख्या S-2207) के निर्माण, पेकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी Manjur ahemad Gulam Husen, M/s Milkcute Dairy, 2/3/157/1/A Kugasiya vas,, Ta. Palanpur, Banaskantha-385520 पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी Manjur ahemad Gulam Husen, M/s Milkcute Dairy, 2/3/157/1/A Kugasiya vas,, Ta. Palanpur, Banaskantha-385520 को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 19–8–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला)	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही-307001.